फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

:– प्रेमदास
मुकदमा – अपील

विपक्षी :– मांगीलाल
पत्रावली संख्या : 06/17

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 30.06.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प मावली में पेश हुई। अधिवक्ता मय अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 3974 का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने न्यायालय हाजा से दिनांक 26.12.2016 को प्रतिलिपी का आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 279/15 एवं प्रकरण सं. 169/15 की नकल प्राप्त की हैं। उक्त आराजीयात को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 3 नन्दराम को वाद की जानकारी होते हुए विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को विक्रय की हैं। चूंकि भूमि विवादित होने से उसका वाद विचाराधीन हैं। विवादित भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मावली द्वारा पारित किया गया जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नही आता हैं। विवादित भूमि के नामान्तरकरण का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होने के बावजूद नामान्तरकरण पारित किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किया किया जाकर ग्राम पंचायत मावली का नामान्तरकरण संख्या 3974 दिनांक 05.04.2017 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प मावली में सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
उपखण्ड अधिकारी
मावली